क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2203/NGT-157/OA-555/2022 दिनांक 13/12/2022

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report of the Joint Committee in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Order dated 06-09-2022 in OA No-555/2022 Vijaypal Versus State of Uttar Pradesh.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject the Joint Committee inspected the site in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 06-09-2022 in OA No-555/2022 Vijaypal Versus State of Uttar Pradesh. Joint Committee's report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 555 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Vijaypal ...Applicant

Versus

State of U.P. ...Respondent(s)

INDEX

S.No.	Description	Pg.No.
1	Status Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 06.09.2022 in OA 555/2022	1-3
2	**Annexure I** – Copy of closure order issued by Board on 12.12.2022	4-6
3	**Annexure II** – Copy of letter issued to Electricity Department for disconnection of electricity.	7-8
4	**Annexure III** - Copy of letter issued to Hapur Pilakhuwa Development Authority on 09.12.2022	9-9
5	**Annexure IV** - Copy of affidavit submitted by M/s. Moon Processors, Dhaulana, Hapur.	10-10

FILED BY

UTSAV SHARMA
Regional Officer, UPPCB
Ghaziabad

<u>मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-555/2022 Vijay Pal Versus State of Uttar Pradesh के सम्बन्ध मे निरीक्षण आख्या।</u>

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-555/2022 Vijay Pal Versus State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 कों आदेश पारित किए गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:–

"………The residents of village Partapur, District Hapur, Uttar Pradesh including Mr. Vijay Pal have sent this letter petition by email complaining that illegal factory with the name of M/s Moon process is operating behind Power house near Indane Gas Agency at village Partapur, District Hapur, Uttar Pradesh. The said industry is using unapproved fuel such as Medical waste, paper, plastic, polythene, rubber, raxine, tyre, chemical cloth and other toxic chemicals for it boiler. As a result, the entire surrounding land has become infertile and emitted poisonous gases are causing damage to the environment. Toxic waste water discharge by the industry is also contaminating drinking water sources resulting in enhanced mortality of the cattle, damage to crops and loss of income to farmers.

This Tribunal is empowered to take cognizance of the cases involving questions relating to environment arising out of the implementation of enactments specified in First Schedule of the National Green Tribunal Act, 2010 suo moto as held by Hon'ble Supreme Court in **<u>Municipal Corporation of Greater Mumbai V/s. Ankita Sinha and others 2021 SSC Online SC 897.</u>** This Tribunal can also take cognizance of such cases on the basis of letter petitions in accordance with settled principles of law governing Public Interest Litigation……..”

उपरोक्त के क्रम मे संयुक्त समिति के विवेक कुमार यादव, उपजिलाधिकारी–धौलाना, हापुड, किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, सुभाष चन्द्र, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 09.12.2022 को मैसर्स मून प्रोसेर्स, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डिन गैस एजेन्सी (पावर हाउस के पीछे), पिलखुआ, हापुड स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उधोग प्रतिनिधि के रूप में श्री अनीस खान उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. उधोग द्वारा कच्चे माल के रूप में स्कूल बैग, फैब्रिक, स्टार्च का प्रयोग कर फैब्रिक पर स्टार्च लगाने का कार्य किया जाता है। उधोग प्रतिनिधि द्वारा उधोग की उत्पादन क्षमता लगभग 2000 मीटर प्रतिदिन अवगत करायी गयी।
2. निरीक्षण के दौरान उधोग उत्पादनरत नही था। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि फैब्रिक पर स्टार्च लगाने का जॉब वर्क कार्य किया जाता है। पिछले लगभग एक सप्ताह से आर्डर न होने के कारण उधोग बन्द है।

3. उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त उधोग के स्वामी श्री सलाउददीन पुत्र मोहम्मद फारूख है तथा उधोग वर्ष 2018 से स्थापित है तथा जुलाई–2022 से उत्पादनरत है। उपस्थित प्रतिनिधि उधोग के संचालन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागो से प्राप्त अनुमतियां/लाईसेन्स इत्यादि साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सकें।

4. निरीक्षण के दौरान उधोग में भाप जनन हेतु एक ब्यायलर स्थापित पाया गया, जिसकी क्षमता 2.0 टन/घण्टा अवगत करायी गयी। उक्त ब्यायलर में ईधन प्रयोग किये जाने हेतु लकडी भण्डारित पायी एवं लकडी के अतिरिक्त अन्य ईधन/कचरा/प्लास्टिक इत्यादि परिसर में नही पाया गया। उक्त ब्वालयर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साईक्लोन डस्ट कलेक्टर, वैट स्क्रबर एवं भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊची चिमनी स्थापित है। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त ब्वालयर में ईधन हेतु लकडी की खपत प्रतिनिधि 1.5 टन अवगत करायी गयी।

5. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उधोग मे जल का प्रयोग मात्र घरेलू प्रयोजन एवं ब्वालयर में स्टीम उत्पादन हेतु किया जाता है। किसी अन्य औद्योगिक प्रक्रिया में जल का प्रयोग नही किया जाता है और न उधोग की औधोगिक प्रक्रिया से कोई उत्प्रवाह जनित नही होता है। घरेलू उत्प्रवाह को सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है।

6. उक्त उधोग को स्थापना एवं संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण/सहमति जल एवं वायु प्राप्त नही है। तत्क्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या एच–85448/सी–1/वायु/जी–1199/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 12.12.2022 द्वारा उधोग पर रू0 10,12,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश की प्रति उधोग को प्राप्त करा दी गयी है तथा उक्त के अनुपालन में उधोग द्वारा शपथ पत्र दिनांक 13.12.2022 प्राप्त कराया गया है **(संलग्नक–1)**।

7. उक्त उधोग के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन हेतु अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड पिलखुआ, हापुड को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या 2276/सी/एम–498/2022 दिनांक 12.12.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है तथा उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन विच्छेदन कर दिया गया है**(संलग्नक–2)**।

8. उक्त उधोग स्थल हापुड पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड आच्छादित क्षेत्रान्तर्गत है। तत्क्रम में उधोग के विरूद्ध स्थल/भू–प्रयोग/प्राप्त अनुमतियों की जॉच करते हुये नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव, हापुड पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या 2272/सी/एम–498/2022 दिनांक 09.12.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है **(संलग्नक–3)**।

9. उधोग स्वामी द्वारा दिनांक 09.12.2022 को उपजिलाधिकारी–धौलाना, हापुड को संबोधित करते हुये शपथ पत्र प्राप्त कराया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य सम्बन्धित विभागो से अनुमतियां प्राप्त किये बगैर संचालन नही किया जायेगा**(संलग्नक–4)**।

10. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:–

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

13/12/22	K Singh 13/12/2022	13/12/22
(सुभाष चन्द्र)	(किशन सिंह)	(विवेक कुमार यादव)
वैज्ञानिक सहायक	सहायक पर्यावरण अभियंता	उपजिलाधिकारी–धौलाना
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	हापुड।
गाजियाबाद।	गाजियाबाद।	

Annexure – I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H85448/C-1/वायु/G-1199/बन्दी आदेश/2022 Date: 12.12.22

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स मून प्रोसेसर,
ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा,
हापुड़।

यह कि मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ जो कच्चे माल के रूप में कच्चे माल के रूप में फैब्रिक, स्टार्च का इत्यादि का प्रयोग कर फैब्रिक पर स्टार्च के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 555/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में उक्त उद्योग का निरीक्षण उपजिलाधिकारी–धौलाना, हापुड़ के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 09.12.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल और वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित है, जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाईयों को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते है:–

1. यह कि मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर दिनांक 01.07.2022 से निरीक्षण दिनांक 09.12.2022 तक कुल 162 डिफाल्टर दिवस हेतु रू0 10,12,500/– (रू0 दस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त–1)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H85448/C-1/वायु/G-1199/बन्दी आदेश/2022 **Date:** 12.12.22

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स मून प्रोसेसर,
ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा,
हापुड़।

यह कि मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ जो कच्चे माल के रूप में कच्चे माल के रूप में फैब्रिक, स्टार्च का इत्यादि का प्रयोग कर फैब्रिक पर स्टार्च के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 555/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में उक्त उद्योग का निरीक्षण उपजिलाधिकारी-धौलाना, हापुड़ के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 09.12.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल और वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित है, जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाईयों को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते है:-

1. यह कि मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ पर अवैध रूप से संचालित इकाईयों को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मैसर्स मून प्रोसेसर, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी, पिलखुवा, हापुड़ द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर दिनांक 01.07.2022 से निरीक्षण दिनांक 09.12.2022 तक कुल 162 डिफाल्टर दिवस हेतु रू0 10,12,500/- (रू0 दस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

प्रति प्राप्त
[signature]
12-12-2022

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, हापुड़ को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-1)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ACC NAME- PRADEEP KUMAR
ACC Code-UP 14076404
Tehsil Dhaulana Distt Hapur(UP)
Licence No.27
Sign.........

₹100

Certificate No.	:	IN-UP77159531382212U
Certificate Issued Date	:	13-Dec-2022 01:33 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14076404/ DAHAULANA/ UP-HPU
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14076404476613453437 12U
Purchased by	:	SALAUDDIN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SALAUDDIN
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SALAUDDIN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

IN-UP77159531382212U

Please write or type below this line

NOTARY Vinod Kumar (Advocate) Distt. Hapur (U.P.) Regn. No. 20907 Valid 15-03-2025 GOVT. OF INDIA

शपथ पत्र

समक्षः– क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबादं।

शपथ पत्र ओर से सलाउददीन पुत्र मौ0 फारूक मालिक मून प्रोसेसर ग्राम परतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी पिलखुवा हापुड।

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सही है।
2. यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि दिनांक 12.12.2022 को बन्दी आदेश रेफरेन्स नं0 H85448/C-1 /वायु /G- 1199/ बन्दी आदेश/2022 का पत्र प्राप्त हुआ ।
3. यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैने तत्काल प्रभाव से कार्य बन्द कर दिया है एंव बन्दी आदेश का पूर्ण पालन करूंगा।
4. यह कि उपरोक्त शपथपत्र की 1 ता 3 मेरे निजि ज्ञान व विश्वास में सब सही व सत्य है। कोई तथ्य झूठा व छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांकः– 13.12.2022

ATTESTED
13/12/2022
VINOD KUMAR (Advocate)
Notary Govt. of India
District HAPUR (U.P.)
Mob. 8218018837

शपथकर्ता
सलाउददीन पुत्र मौ0 फारूक

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Annexure – II

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या :2276/सी/01-498/2022 दिनांक : 12/12/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0,
विधुत वितरण खण्ड, पिलखुवा,
जनपद हापुड़।

विषयः मैसर्स मून प्रोसेर्स, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी (पावर हाउस के पीछे), पिलखुआ, हापुड के विधुत कनेक्शन के विधुत विच्छेदन के सम्बन्ध मे।।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच–85448/सी–1/वायु/जी–1199/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 12.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त संदर्भित उधोग के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किये गये है। जिसकी प्रति आपको इकाई के विधुत विच्छेदन किये जाने के अनुरोध के साथ पृष्ठांकित की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बन्दी आदेश के अनुपालन मे उधोग के विधुत विच्छेदन हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली तथा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सकें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हापुड़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.in

...कार्यालय :
अधिशासी अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, हापुड़

Executive Engineer
PVVNL,
Vidyut Vitran Khand-II Hapur

33/11 केवी सबस्टेशन पिलखुआ, रेलवे स्टेशन के सामने, पिलखुआ, हापुड़, (उ0प्र0)।
फोन/फैक्स : 0122–2323225, ई–मेल : edd2hapur@gmail.com

पत्रांक 6505/वि0वि0ख0–द्वि0/हा0 दिनांक 13/12/2022

विषय:–मैसर्स मून प्रोसेर्स ग्राम परतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी (पावर हाउस के पीछे), पिलखुआ हापुड के विद्युत कनेक्शन के विद्युत विच्छेदन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गाजियाबाद।

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने कार्यालय पत्रांक–2276/सी/04–498/2022 दिनांक–12.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके द्वारा मैसर्स मून प्रोसेर्स ग्राम परतापुर नियर इण्डियन गैस एजेन्सी (पावर हाउस के पीछे), पिलखुआ हापुड के विद्युत संयोजन विच्छेदन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन को दिनांक–12.12.2022 को विच्छेदित कर दिया गया है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(भूपेन्द्र सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक ..../वि0वि0ख0/ द्वि0/हा0 दिनांक.......................

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. जिलाधिकारी महोदया हापुड।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

(भूपेन्द्र सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

Annexure – III

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2272/सी/M-498/2022 दिनांक 09/12/2022

सेवा में,

सचिव,
हापुड पिलखुआ विकास प्राधिकरण,
हापुड।

विषयः **मैसर्स मून प्रोसेर्स, ग्राम प्रतापुर नियर इण्डिन गैस एजेन्सी (पावर हाउस के पीछे), पिलखुआ, हापुड के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0.ए0 नं0 555/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0.ए0 नं0 555/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के माध्यम से संदर्भित उधोग के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के कम में उक्त उधोग का निरीक्षण उपजिलाधिकारी–धौलाना, हापुड के साथ इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.12.2022 को किया गया। उधोग द्वारा कच्चे माल के रूप में फैब्रिक, स्टार्च का प्रयोग कर फैब्रिक पर स्टार्च लगाने का कार्य किया जाता है। उक्त उधोग को स्थापना/संचालन हेतु बोर्ड से अनुमति प्राप्त नही है। उक्त उधोग स्थल हापुड पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड आच्छादित के क्षेत्रान्तर्गत है तथा उक्त उधोग के 100 से 200 मीटर परिधि में आवासीय क्षेत्र स्थित है तथा उक्त में अन्य उधोग भी स्थापित है, जिनकी जॉच किया जाना अति आश्वयक है।

अग्रेतर जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में आवासीय क्षेत्र में स्थापित/संचालित इकाईयों को बन्द कराने एव उचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने के परिपेक्ष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा श्री मिथलेश जैन वनाम स्टेट आफ यू.पी. व अन्य 2003(6)ए.डब्लू.सी 4742 में दिनांक 13.08.2022 को आदेश पारित किया गया था, जिसके अनुपालनार्थ आवास एवं शहरीय नियोजन अनुभाग–3 के पत्र संख्या सी0एस0–89/9–आ–3–2003–62/रिट/2003 दिनांक 05.09.2003 द्वारा शासनादेश जारी किया गया था कि आवासीय क्षेत्र में सघन अभियान चालाकर औद्योगिक इकाईयों को संचालम से रोका जाये इसी कम में तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0 शासन द्वारा भी अपने पत्र संख्या सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003 द्वारा आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखमऊ, उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिरण उ0प्र0, नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0 को पत्र प्रेषित किया गया था तथा इसी अनुकम एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के कम में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के शासनादेश पत्र संख्या एन.जी.टी. –613/81–7–2019–152(रिट)/2016 दिनांक 28.11.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/नगर विकास/आवास एवं शहरीय नियोजन/ऊर्जा/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन को आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थान्तिरित कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि उक्त उधोग एवं उक्त क्षेत्र में अन्य उधोगो के स्थल, भू–प्रयोग एवं आपसे प्राप्त अनुमतियों की जॉच करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदया, हापुड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Annexure-II

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FY 675595

NOTARY GOVT. OF INDIA
Brij Mohan (Advocate) Distt. Hapur (U.P.) Regn. No. 10711 Valid-25-11-2024

उपजिलाधिकारी महोदय
तहसील धौलाना, जिला हापुड़

महोदय,

प्रार्थी का नाम सलाउददीन पुत्र मौ0 फारूक हैं प्रार्थी ने मून प्रोसेसर्स के नाम से इण्डेन गैस एजेन्सी के पास परतापुर रोड पिलखुवा में लेबर मजदूरी पर लगभग 6 माह पूर्व कपडे पर मांढी चढाने का कार्य संचालित किया था जिसमें माह में केवल दो–चार बार ही कार्य संचालन किया जाता है।

प्रार्थी के द्वारा इस कार्य को संचालित करने के लिए बायलर में केवल लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी किसी भी प्रकार का प्लास्टिक अथवा कचरा का प्रयोग नही किया जाता है। प्रार्थी को ज्ञात नही था कि इस कार्य संचालन के लिए प्रदूषण विभाग की अनुमति की आवश्यकता होती है जिस कारण अज्ञानतावश प्रार्थी ने कार्य संचालन शुरू कर दिया।

प्रार्थी शपथपूर्वक कहता है कि प्रदूषण विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों की अनुमति रजिस्ट्रेशन मिलने तक किसी भी प्रकार का कार्य संचालन नही किया जायेगा।

S.No. 1865 Date 09-12-2022
Brij Mohan (Advocate)
Notary, Government of India
Regd. No. 10711, Valid-25-11-24
District-Hapur (Uttar Pradesh)
Identified By Shri........Self........

प्रार्थी
सलाउददीन
पुत्र मौ0 फारूक